पत्रांक–भवन / बजट–74–योजना–(विज्ञान एवं प्रा.वि.)–05 / 2022–23... 1179 (भ)

बिहार सरकार
भवन निर्माण विभाग

सेवा में,

महालेखाकार (ले. एवं हक) बिहार,
वीरचन्द पटेल पथ, पटना।

पटना, दिनांक– 5/2/26

विषय– विज्ञान, प्रावैधिकी एवं तकनीकी शिक्षा विभाग की विभिन्न कार्यों के क्रियान्वयन हेतु **वित्तीय वर्ष 2025–26** में कुल **₹ 13,29,723 / – (तेरह लाख उनतीस हजार सात सौ तेईस रूपये)** मात्र के व्यय की स्वीकृति।

आदेश– स्वीकृत।

कार्यपालक अभियंताओं के द्वारा PMIS के माध्यम से समर्पित ऑनलाईन अधियाचना पर संबंधित अधीक्षण अभियंता एवं मुख्य अभियंता द्वारा की गयी अनुशंसा के आलोक में विज्ञान, प्रावैधिकी एवं तकनीकी शिक्षा विभाग की निम्न कार्यों के क्रियान्वयन हेतु कुल **₹ 13,29,723 / – (तेरह लाख उनतीस हजार सात सौ तेईस रूपये)** मात्र का व्यय की स्वीकृति **वित्तीय वर्ष 2025–26** में प्रदान की जाती है :–

क्रमांक	भवन प्रमंडल का नाम	अधियाचना आई0डी0 संख्या	योजना का नाम	स्वीकृत्यादेश संख्या / दिनांक	वित्तीय वर्ष 2025–26 के लिए व्यय हेतु स्वीकृत राशि
1.	विद्युत कार्य प्रमंड्ल संख्या-01, पटना	28977	Electrical Work for upgradation of Indira Gandhi Science Planetarium Tara mandal, Patna	9812 / 04.12.23	₹1,94,100/- (एक लाख चौरानवे हजार एक सौ रूपये)
2.	भवन प्रमंडल, भागलपुर	29051	Repair, Painting and Tiles work of 2nd floor Main Building in B.C.E. Bhagalpur for the Year 2025-26	222 / 07.08.25	₹ 5,81,736/- (पाँच लाख इक्यासी हजार सात सौ छत्तीस रूपये)
3.	भवन प्रमंडल, भागलपुर	29210	Repair, Painting and Aluminium work of Quarter No. 03 Building in B.C.E. Bhagalpur for the Year 2025-26	1399 / 19.09.25	₹5,53,887/- (पाँच लाख तिरपन हजार आठ सौ सतासी रूपये)
			कुल योगः–		**₹13,29,723 / –**

(तेरह लाख तेईस हजार सात सौ तेईस रूपये)

2. उक्त कार्य पर राशि का व्यय मांग संख्या–03 के मुख्यशीर्ष–2059–लोक निर्माण कार्य उपमुख्यशीर्ष–80–सामान्य, लघु शीर्ष–053–रख रखाव तथा मरम्मत उपशीर्ष–0018–इंजिनियरिंग / तकनीकी महाविद्यालय और संस्थानों के भवनों का अनुरक्षण एवं मरम्मत (विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग) **विपत्र कोड–03–2059800530018** के विषयशीर्ष–27–लघु कार्य–0018.27.02–अनुरक्षण एवं मरम्मत में उपबंधित राशि से **वित्तीय वर्ष 2025–26** में किया जाएगा।
3. इस राशि के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी संबंधित कार्यपालक अभियंता, भवन निर्माण विभाग होंगे।
4. इस राशि की निकासी संबंधित कोषागार से की जायेगी।
5. प्रस्ताव में आन्तरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति एवं सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।
6 स्वीकृत राशि के विरूद्ध आवंटन की कार्रवाई सी.एफ.एम.एसम. के माध्यम से की जा रही है।

(राजेश कुमार सिंह)
सरकार के अपर सचिव।